न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

विवरण

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 44/2019

1. कमलेश
2. रामकृष्ण } पुत्रान् स्व0 छाजूराम जाति यादव नि0 ढाणी करणी सागर तन चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायणलाल
2. रामशरण पुत्र जगदीशप्रसाद
3. कैलाश पुत्र जगदीशप्रसाद
4. सुरेन्द्र पुत्र रामशरण
5. सुरेश पुत्र रामशरण
6. विक्रम पुत्र कैलाश
7. दिनेश पुत्र कैलाश
8. श्रवण देवी पत्नी रामशरण
9. मेवा पत्नी कैलाश

समस्त जाति यादव नि0 ढाणी करणी सागर तन चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 12/3/2020

दावा वादीगण संक्षेप में निम्न प्रकार है कि आ.ख.न. 654/2 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.04 है0, 667 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम करणीसागर पटवार मण्डल नाथावाला तह0 शाहपुरा की खातेदारी वादीगण प्रत्येक के 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज है वादीगण को आराजी की खातेदारी विरासत से प्राप्त हुई है इसके पूर्व आराजी की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम रही है।

उक्त आराजी को वादीगण अपने पिता स्व0 छाजूराम के साथ शामिल में रहकर काश्त करते आ रहे थे। लेकिन अर्सा लगभग 10 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता गम्भीर रूप से बिमार रहने लगे व वादीगण नाबालिग अवस्था में होने के कारण व अपने अध्ययन में व्यस्त रहने के कारण आराजी की समुचित रूप से काश्त व देखबाल नहीं कर पा रहे थे। इस कारण माह आषाढ सन 2010 में वादीगण के पिता ने आराजी को अपने स्वजन प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 3 को बटाई पर काश्त के लिए इस शर्त पर दी कि उक्त आराजी में उपज का आधा हिस्सा वादीगण के पिता को देगे व काश्त का समस्त खर्चा प्रतिवादीगण वहन करेंगे व वादीगण का पिता जब भी चाहेगा आराजी को वादीगण के पिता को वापस संभला देंगे। वादीगण के पिता स्व0 छाजूराम से तयशर्तों के मुताबिक प्रतिवादी सं. 1 लगा0 3 आराजी को काश्त करते रहे व उपज का आधा हिस्सा वादीगण को व उनके पिता को देते रहे, वादीगण व उनके पिता की सहमति से आराजी में फसल की देखबाल के लिए हाल आराजी खसरा नम्बर 660 में अस्थायी रूप से कच्ची मिट्टी की ईंटों से खाम घर का निर्माण भी इस शर्त पर किया कि जब भी वादीगण व उनके पिता चाहेगा तब तक आराजी को काश्त करते रहेगें व जब भी वह हटायेगे प्रतिवादीगण खाम घरों को भी आराजी से हटा लेंगे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

लेकिन लगभग 03 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता छाजूराम की बीमारी से असामयिक मृत्यु हो गई जिससे प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई व वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात 01 वर्ष तक तो उपज का आधा हिस्सा वादीगण को बटाई पर दिया व पिछले 02 वर्ष से बटाई का हिस्सा भी देना बन्द कर दिया और आराजी में निर्मित खामघरों को भी हटाने से मना कर दिया तथा आराजी का कब्जा भी वादीगण को सौंपने से इन्कार हो गये और उल्टा खामघरों के स्थान पर पक्का निर्माण की धमकी दी है। दिनांक 22.05.2019 को सभी प्रतिवादीगण एक राय होकर हथियारों से लैस होकर व जे.सी.बी. मशीन से जबरन ताकत के बल पर नींव खोदकर पक्का निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा करने की कोशिश की, स्पष्ट धमकी दी है कि वे आराजी का कब्जा वादीगण को नहीं सोपेंगे व समस्त आराजी पर पक्का निर्माण करेगें। प्रतिवादीगण का आराजी पर दिनांक 22.05.2019 से कब्जा अतिक्रमण की तारीफ में आता है जिसे वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है, इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी से बेदखल करने व कब्जा वापसी के लिए वाद पत्र प्रस्तुत के लिए वाद कारण उत्पन्न है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आ.ख.नं. 654/2 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.04 है0, 667 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम करणीसागर पटवार मण्डल नाथावाला तह0 शाहपुरा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण का कब्जा करवाया जावे व आराजी पर निर्मित खामघरों को प्रतिवादीगण से उनके खर्चे पर ध्वस्त करवाया जावे। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कच्चा निर्माण नहीं करे, आराजी पर किसी प्रकार से भू–उपयोग परिवर्तन कर उसका उपजाऊपन नष्ट नहीं करे व आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी । प्रतिवादीगण बाद तामिल उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध 30.09.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 27.01.2020 को साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पेश किए। वादपत्र पर वकील वादी को एक पक्षीय सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। हाल आ.ख.नं. 654/2 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.04 है0, 667 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम करणीसागर पटवार मण्डल नाथावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है।

अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है एवं वादीगण की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 654/2 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.04 है0, 667 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम करणीसागर पटवार मण्डल नाथावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के प्रतिवादीगण को अवैध कब्जे से बेदखल किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 12/3/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(... कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 44/2019

कमलेश }
रामकृष्ण } पुत्रान् स्व0 छाजूराम जाति यादव नि0 ढाणी करणी सागर तन चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र नारायणलाल
रामशरण पुत्र जगदीशप्रसाद
कैलाश पुत्र जगदीशप्रसाद
सुरेन्द्र पुत्र रामशरण
सुरेश पुत्र रामशरण
विक्रम पुत्र कैलाश
दिनेश पुत्र कैलाश
श्रवण देवी पत्नी रामशरण
मेवा पत्नी कैलाश
समस्त जाति यादव नि0 ढाणी करणी सागर तन चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है एवं वादीगण की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 654/2 रकबा 0.12 है0, 660 रकबा 0.04 है0, 667 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम करणीसागर पटवार मण्डल नाथावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के प्रतिवादीगण को अवैध कब्जे से बेदखल किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

यह आज तारीख 12/3/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	